तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सौरभराज बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 89/2023	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.23	अपीलार्थी सौरभराज चौधरी, पता चौर्थी रोड़ शक्तिनगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.01.23 में उसके द्वारा (1) 19 Field anumunation द्वारा कलेक्टर को लिखा गया पत्र कमांक 1907/लेण्ड/पीसी/एडम दिनांक 23.12.22 में दर्शाये गये बिन्दु ए से बी तक दस्तावेज व पत्रों की प्रतियां ; से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 333 दिनांक 01.02.23 प्राप्त हुआ जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 97 दिनांक 21.02.23 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभाव नहीं है। अपनी रिपोर्ट में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन्हें धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा (लोक सूचना अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करावे। आदेश की पति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	